

प्रेषक

संख्या—135/9-9-11-190-द्वि.रा.वि.आ./04

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में

- 1— समरत मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2— समरत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3— निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग—9

लखनऊः दिनांक 18 मार्च 2011

विषय:- नगर पालिका परिषदों/पंचायतों में सम्पत्ति कर का अनिवार्य करों की श्रेणी में वर्गीकरण एवं गृहकर हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था के लिए अधिनियम में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश की नगर पालिका परिषदों/पंचायतों के आय के संसाधन में वृद्धि एवं एकलपता बनाये रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2011 द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है:-

- (क) नगर पालिका द्वारा संपत्ति कर को उदग्रहीत करना (धारा 128)
(ख) नगर पालिका के निवासियों को स्वकर निर्धारण की सुविधा प्रदान करना (धारा 141 क)
(ग) नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर गैर आवासीय संपत्ति के संबंध में वार्षिक मूल्य की परिभाषा को परिवर्तित करना (धारा 140)

2. अधिनियम में उक्त संशोधन उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—1 के खण्ड—क में अधिसूचना दिनांक 11.03.2011 द्वारा प्रकाशित किया गया है। अधिनियम में संशोधन से सम्बन्धित प्राविधान संलग्न है।

कृपया अधिनियम की उक्त संशोधित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय
(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०
इन्द्रिया भवन, लखनऊ

संख्या: 8/650/111-स्वमूल्यांकन

लखनऊः दिनांक अप्रैल 15, 2011

उपरोक्त अधिनियम—संशोधन की प्रति सहित समरत अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि इस संशोधित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

15/4/11
(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2011)

अधिनियम

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

लेखा

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधायक

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
2 सन् 1916 की
धारा 128 का
प्रतिरक्षण

2—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 128 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“128 (1) इस अधिनियम तथा ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 285 के अधिरोपित किये उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका निम्नलिखित जाने वाले कर कर अधिरोपित करेगी, अर्थात्—

(एक) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर;

(दो) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जलकर;

(तीन) भवनों के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर, जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हों, जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगर पालिका के लिये इस निमित्त नियमों द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूरी के भीतर स्थित हों;

(चार) शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुंडों से मलजनित और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण करने, हटाने और निस्तारण करने के लिये सफाई कर;

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त नगर पालिका, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से कोई कर अधिरोपित कर सकती है, अर्थात्—

(एक) ऐसे व्यापार और आजीविका पर कर, जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किये जाते हों, और जिन्हें नगर पालिका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो, या जिनसे उक्त सेवाओं पर विशेष भार पड़ रहा हो;

(दो) ऐसे व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर, जिनमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित हैं, जो वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है;

(तीन) नाट्यशाला कर, जिसका तात्पर्य विनोद या आमोद का कर है;

(चार) नगर पालिका के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर;

(पाँच) सफाई कर;

(छ) नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर कर;

(सात) विज्ञापनों पर कर, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन न हों,

(आठ) नगर पालिका की सीमा के भीतर चलाये जाने वाले यानों और अन्य वाहनों या उसकी सीमा में बांधी जाने वाली नावों पर कर;

(नौ) सुधार कर।

(3) नगर पालिका करों का निर्धारण और उद्ग्रहण इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों व उपविधियों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण का प्राधिकार न देगी, जिसके लिये राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरोपित करने की शक्ति न होगी:

प्रतिबंध यह है कि कोई नगर पालिका जो संविधान के प्रारम्भ होने के द्वीप पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधिपूर्वक उद्गृहीत घर रही थी, उसे कर का उद्ग्रहण जारी रख सकती है, जबतक कि संसद द्वारा इसके प्रतिकूल उपबंध न बनाया जाय।

3—मूल अधिनियम की धारा 129 में, शब्द और अंक “उपधारा (1) के खण्ड (दस)“
के स्थान पर शब्द और अंक “उप धारा (1) के खण्ड (दो)“ रख दिये जायेंगे।

धारा 129 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 129 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,
अर्थात् :—

धारा 129-क का
बढ़ाया जाना

129-क-भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उद्ग्रहण नगर
भवनों या भूमि या पालिका सीमा में, स्थित निम्नलिखित को छोड़ कर, समस्त
दोनों के वार्षिक मूल्य भवनों और भूमि के संबंध में किया जायेगा :—
पर कर उद्ग्रहण

(क) मृतकों के निस्तारण से संबंधित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से
प्रयुक्त भवन या भूमि;

(ख) भवनों और भूमि या उनके भाग, जिनका अधिभोग और उपभोग
अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास
के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान,
सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक
संस्थाओं के खेल के मैदान या कीड़ा स्टेडियम के लिये किया जाता हो;

(ग) भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट
कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
हों अथवा न हो;

(घ) प्राचीन संस्मारक परिक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित
प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के संबंध में राज्य सरकार के
किसी निदेश के अध्यधीन हों :

(ङ) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहाँ के जहाँ भारत
का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबन्ध लागू होते हों ;

(च) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो तीस वर्ष
मीटर के माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले
भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका
सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो ; और

(छ) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो ऐसे क्षेत्र में स्थित
हो जिसे पाँच वर्ष के भीतर नगर पालिका परिषद की सीमा के भीतर
सम्मिलित कर लिया गया हो या जहाँ उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग
प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी हो, इसमें से जो भी पहले हो।

5—मूल अधिनियम की धारा 130 में, शब्द और अंक “उपधारा (1) के खण्ड (र्यारह)
या (बारह)“ के स्थान पर शब्द और अंक “उप धारा (1) के खण्ड (चार) या उपधारा (2) के
खण्ड (छ)“ रख दिये जायेंगे।

धारा 130 का
संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 130 खे में शब्द और अंक “उपधारा (1) के खण्ड(दस),
(दस-क), (र्यारह) और (बारह)“ के स्थान पर शब्द और अंक “उप धारा (1) के खण्ड(दो),
(तीन), (चार) और उपधारा (2) के खण्ड (छ)“ रख दिये जायेंगे।

धारा 130-ख का
संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 131 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द और अंक
“उपधारा (1)“ के स्थान पर शब्द और अंक “उप धारा (2)“ रख दिये जायेंगे।

धारा 131 का
संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 133 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “यदि प्रस्तावित
कर धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (बारह)“ के अन्तर्गत हों“ के स्थान पर शब्द
“पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन प्रस्तावों और आपत्तियों की प्राप्ति पर“ रख दिये जायेंगे।

धारा 133 का
संशोधन

धारा 138 का
संशोधन

धारा 140 का
प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दस) और (यारह)” के स्थान पर शब्द और अंक “उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) और उपधारा (2) के खण्ड (छः)” रख दिये जायेंगे।

10—मूल अधिनियम की धारा 140 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,
अर्थात् :-

“140—(1) ‘वार्षिक मूल्य’ का तात्पर्य –

वार्षिक मूल्य की
परिमाण

(क) रेलवे, स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों
और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या
भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों
के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर में नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले
गुणक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य से है।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि
की दशा में, यथास्थिति, भवन की दशा में प्रति वर्गफुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू
न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू
न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा
किये जाने पर आये 12 गुना मूल्य से हैं और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट
न्यूनतम मासिक किराया दर इस प्रकार होगी जैसी कि नगर पालिका के अधिशासी
अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन
निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाप्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर
द्वारा नियंत सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के
लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम किराया दर और ऐसे अन्य कारक इस प्रकार होंगे
जैसे विहित किये जायः

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पालिका की राय में असाधारण परिस्थितियों
के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गयी हो,
अत्यधिक हो, वहाँ नगर पालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यापूर्ण
प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

स्पष्टीकरण—एक—वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की
गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी :—

(एक) कक्ष—आंतरिक आयाम की पूर्ण माप;

(दो) आच्छादित बरामदा—आंतरिक आयाम की पूर्ण माप;

(तीन) बाल्कनी, मलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह—आंतरिक आयाम की
50 प्रतिशत माप;

(चार) गैराज—आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप;

(पाँच) स्नानागार, शैचालयों, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल,
कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—दो—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये लथा बेदखली
का विनियम) अधिनियम, 1972 के प्रयोजनों के लिए किसी भवन का मानक किराया,
अनुबन्धित किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते
समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(2) जहाँ नगर पालिका इस प्रकार संकल्प करे वहाँ सम्पत्ति करों के निर्धारण के
प्रयोजन के लिए वार्षिक मूल्य —

(क) भूमि और रखामी द्वारा अध्यारात् आवासिक भवन, जो दस वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह दस वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष तक अधिक पुराना न हो तो 32.5 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा, और

(ख) किराये पर दिये गये आवासिक भवन, जो 10 वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा, और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।"

11—मूल अधिनियम की धारा 141 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेगी,
अर्थात् :-

धारा 141 का प्रतिस्थापन

"141—नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक कर निर्धारण अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली सूची का तैयार किया जाना में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवाच समय समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।"

141—क—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल स्वनिर्धारण द्वारा होते हुए भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा मूल्य पर कर संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपने जमा करने का देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाये, जमा कर सकता है।

141—ख—(1)—वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन या कर निर्धारण के भूमि का स्वामी या अध्यासी उस दिनांक तक उसकी लिए भवनों या मूल्य के विवरणों विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) बिना समुचित कारण के उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल कोई व्यक्ति यथाविहित शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

12—मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,
अर्थात् :-

धारा 142 का प्रतिस्थापन

"142—नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी सूची का अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार धारा 141 प्रकाशन के अधीन तैयार की गयी सूची को प्रकाशित करेगा।"

धारा 143 का
प्रतिस्थापन

अर्थातः—

13—मूल अधिनियम की धारा 143 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी।

“143—नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी प्रस्तावित दरों अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों और सूची पर आपत्तियां का निस्तारण करेगा।”

धारा 144 का
प्रतिरक्षण

अर्थातः—

14—मूल अधिनियम की धारा 144 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी।

“144—(1) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत सूची का अधिकारी, यथास्थिति, नगर पालिका क्षेत्र या उसके किसी अधिप्रमाणीकरण भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने और उसकी अभिरक्षा हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।

(2) इस प्रकार अधिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(3) जैसे ही सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी।”

धारा 147 का
संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 147 में शब्द “नगर पालिका” जहां कहीं आये हों के स्थान पर शब्द “नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी” रख दिये जायेंगे।

धारा 149 का
संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 149 में, उपधारा (3) में शब्द “नगर पालिका” के स्थान पर शब्द “नगर पालिका या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी” रख दिये जायेंगे।